बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–7 / प्रश्न–4–101 / 2024– 44

प्रेषक,

नित्यानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव, (प्र0को0)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 12/2/24

विषय– श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार) माननीय स0वि0प0 के द्वारा सप्तदश विधान परिषद के 206 वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 206 / 33 के संबंध में।

प्रसंग– बिहार विधान परिषद से प्राप्त प्रश्न संख्या–1 / 206 / 33

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स0वि0प0 के द्वारा सप्तदश विधान परिषद के 206 वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 206 / 33 का विषयवस्तु स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है।

अतः विषयांकित प्रश्न की छायाप्रति संलग्न करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु स्थानांतरित किंया जा रहा है। साथ ही इसकी सूचना बिहार विधान परिषद को दी जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0 को0)

ज्ञापांक–7 / प्रश्न–4–101 / 2024– 44 पटना, दिनांक– 12/2/24

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद को महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार), माननीय स0वि0प0 द्वारा 206 वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–1 / 206 / 33 के क्रम में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0 को0)

बिहार विधान परिषद प्रश्न

1/206/33

निजी नर्सिंग होम का निबंधन

19/01/2024 12/02/2024

*1/206/33 श्री महेश्वर सिंह(पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(क) क्या यह सही है कि नैदानिक स्थापना, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निजी नर्सिंग होम एवं लैब संचालकों का निबंधन जिला स्तरीय प्राधिकार गठित कर किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राधिकार का गठन नहीं होने पर पूर्वी चंपारण जिले में सिविल सर्जन के द्वारा ही निबंधन किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा आवेदकों से जरूरी कागजात के अलावा आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट की मांग कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी नर्सिंग होम एवं लैब संचालकों के निबंधन हेतु जिला स्तरीय प्राधिकार गठित करने तथा अनावश्यक सर्टिफिकेट मांगने की जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्र.पदा- 7

Akan 12/2/24

12.2.24